



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

Associate Professor & Public Information Officer

27/2021-22/1996/12645

दिनांक : 15/03/2022

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 21.02.2022 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 21.02.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
	I WAS APPLIED B.ED DISTANCE ODL IN THE UNIVERSITY IN NOV 2021 VIDE FORM NO MGAHU21000526	
02	REQUEST PROVIDE THE DETAILS UNDER WHICH RULE/SOP/CIRCULAR REJECTED MY FORM AS UNIVERSITY GIVEN THE REMARKS B.P.ed degree holder not valid/authorized to do B.ed	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम के परिशिष्ट-10 के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 59 में बिंदु क्रमांक (ii) तथा 4.3 पर उल्लेखित नियमानुसार प्रवेश हेतु अनर्ह माना गया।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय
शंभू जोशी
15/03/2022